न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 89सन 2022
अनवान :–

1. इन्द्रसिह पुत्र सुरजनसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भंवरसिह पुत्र लादुसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर।
2. रूपसिह पुत्र लादुसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर
3. लिछमणसिह पुत्र लादुसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर
4. भीमसिह पुत्र उदयसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर
5. जयवीरसिह पुत्र अनाहरसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर
6. ओमसिह पुत्र पहाडसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 03/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 65/66 की कुल 18.4640हैक में से 10497/18464 हिस्सा भूमि मृतक केसर पत्नी पहाडसिह के नाम सें दर्ज है।

रोही मौजा मेधाना के खसरा न0 76 मीन की 9.18 बीधा खसरा न0 80 मीन की 10.10 बीधा खसरा न0 81 की 21.02 बीधा कुल 4114 बीधा भूमि केसरी पत्नी पहाडसिह के नाम से दर्ज थी जिसके वर्तमान खसरा न0 254 ,289 ,290 ,291/3 ,292 ,293 ,295 की कुल 18.4640हैक में पैमुद हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज है।

केसरी पत्नी पहाडसिह जाति राजपूत ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम तहरीर करवाई जाकर दिनांक 11.10.2001 को पजीबद्व करवाई गई थी केसरी पत्नी पहाडसिह का देहान्त हो चुका है केसरी पत्नी पहाडसिह के देहान्त होने के बाद केसरी पत्नी पहाडसिह की वसीयत दिनांक 11.10.2001 के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 केसरी पत्नी पहाडसिह के नाम दर्ज भूमि को वसीयत के अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की केसरी पत्नी पहाडसिह जो वादी की दादी है के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब*के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केसरी पत्नी पहाडसिह के नाम से दर्ज है केसरी पत्नी पहाडसिह ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में वसीयत तहरीर करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी केसरी पत्नी पहाडसिह का देहान्त हो चुका है केसरी पत्नी पहाडसिह के देहान्त होने पर केसरी पत्नी पहाडसिह के वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

1 ता 6 के नाम दर्ज की जाती है तो किसीप्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहरा में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 65/66 की कुल 18.4640हैक में से 10497/18464 हिस्सा भूमि मृतक केसार पत्नी पहाडसिह के नाम सें दर्ज है।

रोही मौजा मेधाना के खसरा न0 76 मीन की 9.18 बीधा खसरा न0 80 मीन की 10.10 बीधा खसरा न0 81 की 21.02 बीधा कुल 4114 बीधा भूमि केसरी पत्नी पहाडसिह के नाम से दर्ज थी जिसके वर्तमान खसरा न0 254 ,289 ,290 ,291/3 ,292 ,293 ,295 की कुल 18.4640हैक में पैमुद हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज है।

केसरी पत्नी पहाडसिह जाति राजपूत ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम तहरीर करवाई जाकर दिनांक 11.10.2001 को पजीबद्व करवाई गई थी केसरी पत्नी पहाडसिह का देहान्त हो चुका है केसरी पत्नी पहाडसिह के देहान्त होने के बाद केसरी पत्नी पहाडसिह की वसीयत दिनांक 11.10.2001 के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 केसारी पत्नी पहाडसिह के नाम दर्ज भूमि को वसीयत के अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 65/66 की कुल 18.4640हैक में से 10497/18464 हिस्सा भूमि मृतक केसर पत्नी पहाडसिह के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केसरी पत्नी पहाडसिह के नाम से दर्ज है केसरी पत्नी पहाडसिह ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी वर्तमान में केसरी पत्नी पहाडसिह का देहान्त हो चुका है केसरी पत्नी पहाडसिह के देहान्त होने के वाद केसरी पत्नी पहाडसिह के द्वारा दिनांक 11.10.2001 को करवाई गई वसीयत के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम वसीयत के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है वे अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गेधाना के खाता संख्या 65/66 की कुल 18.4640हैव मेंसे 10497/18464 हिस्सा भूमि केसरी पत्नी पहाडसिह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिव 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. इन्द्रसिह पुत्र सुरजनसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भंवरसिह पुत्र लादुसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर।
2. रूपसिह पुत्र लादुसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर
3. लिछमणसिह पुत्र लादुसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर
4. भीमसिह पुत्र उदयसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर
5. जयवीरसिह पुत्र अनाहरसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर
6. ओगसिह पुत्र पहाडसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 89 सन 2022 निर्णय दिनांक– 03/03/2023

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 65/66 की कुल 18.4640हैक मेंसे 10497/18464 हिस्सा भूमि केसरी पत्नी पहाडसिह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिव 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी सांख्या 5 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी सांख्या 6 अकेला 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/03/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner